12.3.22 पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वकील वादी उप.। प्रति. क्र. 1 ता 3 की ओर से अधि. हरिसिंह ने वकालतनामा मय इकबाली जवाब दावा पेश किया। वादी एवं प्रति. क्र. 1 ता 3 ने संयुक्त रूप से राजीनामा पेश किया। वादी की पहचान वकील वादी एवं प्रतिवादी की पहचान वकील प्रतिवादी द्वारा की गई। राजीनामा तस्दीक किया गया। पीठासीन अधिकारी द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पीठासीन अधिकारी व सदस्य श्रीमान ... ने वाद स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की। अतः उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, दस्तावेज व पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वाद डिक्री स्वीकार करना उचित समझती है, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर आज्ञापत्र जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

भरतसिंह

हिरा बाई

रामप्रसाद मीणा

उम्मेदसिंह

नि. अंगूठा हिराबाई

वाद स्वीकार है

ADR सदस्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 16:42:31 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 22/2022 तारीख दायरा:– 12.03.2022

उनवान

भरतसिंह पुत्र श्री रूपसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा। –वादी

बनाम

1. उम्मेदसिंह पुत्र श्री मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रोलाना तहसील सांगोद हाल निवासी नला मोहल्ला, झालावाड, जिला झालावाड।
2. श्रीमती गुड्डीबाई पत्नी श्री रामप्रसाद जाति मीना निवासी ग्राम विनोदकलां।
3. श्रीमती हीराबाई पत्नी श्री धर्मराज जाति मीना निवासी ग्राम विनोदकलां तहसील सॉंगोद जिला कोटा।
4. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। –प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील वादीगण) दिनांक :– 12.03.2022

श्री सरकार पैरोकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 16:42:31 IST
Reason: SelfAttested

–– निर्णय ––

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि खसरा नंबर 572 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 605 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नंबर 631 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नंबर 632 रकबा 0.13 हैक्टर व खसरा नंबर 573 रकबा 4.54 हैक्टर आराजी वाके ग्राम सेलाना तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी मे प्रतिवादी कं. 1 का 1/20 हिस्सा निहित था जिसका 25/26 हिस्सा अर्थात् कुल आराजी का 25/520 हिस्सा प्रतिवादी कं. 1 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्रमांक 201803303101425 दिनांक 01.08.2018 से वादी को विक्रय कर दिया था तथा विक्रीत सम्पत्ति का प्रतिवादी कं. 1 द्वारा उसी वक्त मौके पर कब्जा क्रेता वादी को भली भांति रूप से सम्भला दिया था, तभी से वादी उक्त क्रयशुदा आराजी हिस्सा पर बदस्तूर शान्तिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है तथा वादी द्वारा मुताबिक बेनामा इन्तकाल दर्ज करने हेतु बेनामें की प्रति भी तत्समय पटवारी हलका के सुपुर्द कर दी थी किन्तु गत सप्ताह क्रयशुदा हिस्सा आराजी पर बैंक ऋण प्राप्त करने हेतु वादी ने नकल जमाबन्दी प्राप्त की व नक्शा ट्रेस प्राप्त करने हेतु पटवारी हलका के पास गया तो पटवारी हलका द्वारा बताने पर जानकारी हुई कि तत्कालीन पटवारी हलका का ट्रांसफर हो चुका है तथा तत्कालीन पटवारी हलका द्वारा रजिस्टर्ड बेनामा दिनांक 01.08.2018 के मुताबिक खाते में क्रेता वादी का नाम ही अंकित नहीं किया तथा प्रतिवादी कं. 1 द्वारा प्रतिवादी कं. 2, 3 को अपनी अन्य आराजी विक्रय करते वक्त उनके पक्ष में तहरीर किये गये रजिस्टर्ड बेनामा क्रमांक 202003303101042 दिनांक 14.10.2020 में वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित वादी की क्रयशुदा आराजी का भी अंकन कर दिया व उक्त पश्चातवर्ती बेनामें के आधार पर [illegible] द्वारा इन्तकाल संख्या 560 दिनांक 05.11.2020 तस्दीक करवाकर वादी की क्रयशुदा हिस्सा आराजी भी प्रतिवादी कं. 2, 3 के खाते दर्ज कर दी। इस प्रकार इन्तकाल संख्या 560 से राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 16:42:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

रिकार्ड में किये गये उक्त अवैध इन्द्राजात वादी के काश्तकारी अधिकारों के विपरीत प्रारम्भ से ही शून्य व बेअसर होने से काबिल निरस्तनीय हैं। वादपत्र की चरण संख्या 1 में अंकित आराजी में वादी द्वारा क्रयशुदा हिस्सा आराजी के संबंध में इन्तकाल संख्या 560 से किये गये इन्द्राजात कानूनन काबिल खारिजा हैं तथा वादी रजिस्टर्ड बेनामा से क्रयशुदा हिस्सा आराजी को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम अंकित करवाने का कानूनी अधिकारी है। यदि वादी की क्रयशुदा हिस्सा आराजी में इन्तकाल संख्या 560 के इन्द्राजों को यथावत रखा जाता है व वादी की क्रयशुदा हिस्सा आराजी वादी के खाते दर्ज नहीं की जाती है और प्रतिवादीगण उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के आधार पर आराजी को खुर्दबुर्द करने व वादी को शान्तिपूर्ण संयुक्त कब्जेकाश्त से बेदखल करने में सफल हो जाते हैं तो वादी को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी। ऐसी परिस्थितियों में वादी के लिए वादपत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। अतः वादपत्र की चरण संख्या 1 में अंकित ग्राम रोलाना की वादग्रस्त आराजी की हद तक इन्तकाल संख्या 560 दिनांक 05.11.2020 को शून्य व बेअसर घोषित किया जावे तथा माल ग्राम रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 572 रकबा 0.01 हैक्टर के 1/20 का वादी को, 1/40 हिस्सा का प्रतिवादी कं. 2 को, 1/40 हिस्से का प्रतिवादी कं. 3 को एवं खसरा नंबर 605 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नंबर 631 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नंबर 632 रकबा 0.13 हैक्टर के 25/520 हिस्से का वादी को, 1/520 को प्रतिवादी कं. 1 को तथा खसरा नंबर 573 रकबा 4.54 हैक्टर का 25/520 का वादी को, 27/1040 का प्रतिवादी कं. 2, [illegible] 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। वादपत्र की चरण संख्या 1 में अंकित आराजी में वादी के क्रयशुदा 25/520

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 16:42:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

हिस्से के संयुक्त उपयोग–उपभोग एवं शान्तिपूर्ण संयुक्त काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से मदाखलत, मजामहत, क्षति, नुकसान कारित नहीं करें एवं राजस्व रिकार्ड के त्रुटिपूर्ण अंकन के आधार पर प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी को किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द, रहन, विक्रय, दान व अन्य प्रकार से हस्तान्तरण न करें। उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करें न ही अपने नौकरों, एजेन्टों से करावें।

उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा इकबाली प्रस्तुत कर व राजीनामा प्रस्तुत कर दावा वादी स्वीकार करने में सहमति व्यक्त की। राजीनामा पक्षकारान तस्दीक किया गया। जवाब सरकार में तहसीलदार सांगोद द्वारा वाद स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की गई। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, दस्तावेज व पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वाद वादी स्वीकार करना उचित समझती हूँ।

अतः दावा वादी स्वीकार कर आदेश पारित किये जाते हैं कि माल ग्राम रोलाना तहसील सांगोद के इन्तकाल संख्या 560 दिनांक 05.11.2020 को वादग्रस्त आराजी की हद तक शून्य व बेअसर घोषित कर निरस्त किया जाता है तथा माल ग्राम रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 572 रकबा 0.01 हैक्टर के 1/20 का वादी को, 1/40 हिस्सा का प्रतिवादी कं. 2 को, 1/40 हिस्से का प्रतिवादी कं. 3 को एवं खसरा नंबर 605 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नंबर 631 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नंबर 632 रकबा 0.13 हैक्टर के 25/520 हिस्से का वादी को, 1/520 हिस्से का प्रतिवादी कं. 1 को तथा खसरा नंबर 5[illegible] रकबा [illegible]54 हैक्टर के 25/520 का वादी को, 27/1040 हिस्से का [illegible] 1040 हिस्से का प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 16:42:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

कं. 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार अन्तिम डिक्री मुर्तिब की जावे।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 16:42:31 IST
Reason: SelfAttested